**प्रपत्र-VIII - क**

**कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत**

**भवन की योजना के अनुमोदन**

**प्रतिलिपि संख्या- 8(4)**

आप के आवेदन संख्या- 300 तिथि- 20.12.2016 के संदर्भ में /

मेसर्स आर.डी. हेल्थ डेवलपर्स प्रा0 लि0, डाईरेक्टर-श्री प्रमोद कुमार, पिता-धर्मेन्द्र कुमार सिंह, एवं श्रीमती शिशु देवी, पति-श्री सुबोध कुमार, पता-मैनपुरा, पाटलीपुत्रा, पटना।

(क) ✓ आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु नगर परिषद दानापुर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित स्कीम के 300 प्लौट नं0-51 एवं 53(P), खाता नं0- 176 एवं 177, तौजी नं0-5276 एवं बिहार सरकार, थाना नं0- 36, मौजा- मुस्तफापुर, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना के निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्यधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-30../10-17-18 तथा जिसका निर्माण क्षेत्रफल (**Block A- G+6, B- B+G+6, C- G+6**) 14160.66 वर्ग मीटर है, में भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 3633.13 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 60.00 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ

नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 372.918 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(3) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(4) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(5) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(6) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक- 30 /दिनांक- 30/06/2017
प्रतिलिपि- मेसर्स एस.ई. ईको डेभलपर्स प्रा0 लि0, डाईरेक्टर-श्री प्रमोद कुमार, पिता-सत्येन्द्र कुमार सिंह, एवं श्रीमती शिलू देवी, पति-श्री सुबोध कुमार, पता-मैनपुरा, पाटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत